शुभम आलिया शुभम सैनी बनाम हरियाणा राज्य

1963

(अमन चौधरी, जे.)

अमन चौधरी से पहले, जे.

शुभम आलिया शुभम सैनी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-2022 का उत्तरदाता सी. आर. एम.-एम. सं. 47378।

29 नवंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 188-आदेश की अवज्ञा-क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत अपराध संज्ञेय है, पुलिस के पास एफ. आई. आर. दर्ज करने की शक्ति नहीं है, अगर संहिता की धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट को संहिता की धारा 2 (डी) के तहत प्रदान की गई "शिकायत" की परिभाषा के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट-एफ. आई. आर. शामिल नहीं है और बाद की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इसलिए कि आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत अपराध संज्ञेय है, पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि उसी तरह, यदि संहिता की धारा 173 (8) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का परिणाम, संहिता की धारा 2 (डी) में प्रदान की गई "शिकायत" की परिभाषा के साथ पठित धारा 195 (1) (ए) द्वारा वर्जित है, तो उस शिकायत में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

(पैरा 16) याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन सैनी और राहुल मक्कड़। अदिति गिरधर, एएजी, हरियाणा।

(1) तत्काल याचिका के माध्यम से, धारा 482 Cr.P.C के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, रोहतक में आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज एफ. आई. आर. No.116 को रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही, जिसमें अंतिम रिपोर्ट दिनांक 23.6.2021 और दिनांक 04.08.2021 के आदेश के माध्यम से आरोप तय करना शामिल है। (2) सटीक शब्दों में कहें तो तथ्य यह है कि 29.4.2021 पर, शिवाजी कॉलोनी चौक, तारा होटल वाली गली, जनता कॉलोनी झज्जर रोड, रोहतक में मदर डेयरी का आउटलेट, जिसमें याचिकाकर्ता के चचेरे भाई गोबिंद सैनी एक मताधिकार धारक थे, कोविड-19 महामारी के हमले के दौरान पुलिस के हाथों बंद कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश डेयरी उत्पाद, जो 1964 में उपलब्ध थे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

सबसे पहले; कि याचिकाकर्ता, 25 वर्ष का, एम. एससी. की तैयारी कर रहा था। गणित (ऑनर्स) एफ. आई. आर. दर्ज करते समय जाँच। वह एक योग्य आईटी पेशेवर हैं जो वैश्विक स्तर पर नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जून, 2022 में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए नियुक्ति 27.6.2022 के लिए निर्धारित की गई थी। हालाँकि, उनका पुलिस सत्यापन 04.08.2022 पर हुआ था, हालाँकि, अधिकारियों द्वारा इसे जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। आई. डी. 2 पर, याचिकाकर्ता द्वारा एक पूछताछ की गई, जिसके बाद, पासपोर्ट अधिकारियों के अधिकारियों ने उसे सूचित किया कि विचाराधीन एफ. आई. आर. के लंबित होने के कारण, पासपोर्ट आवेदन को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में समीक्षा के तहत रखा गया था, याचिकाकर्ता द्वारा आई. डी. 1 पर डाउनलोड की गई स्थिति को अनुलग्नक पी-6 के रूप में जोड़ा गया है। पासपोर्ट के अभाव में, जो वैश्विक स्तर पर किसी व्यक्ति की पहचान का एकमात्र स्वीकार्य प्रमाण है, याचिकाकर्ता नौकरी के लिए आवेदन करने में असमर्थ है और केवल इसी कारण से उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा; कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, रोहतक के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, हालांकि, उसमें प्रतिबंध के किसी विशिष्ट समय का उल्लेख नहीं किया गया था, जो आरोप पत्र के साथ संलग्न आदेश से स्पष्ट है। यह केवल विचाराधीन एफ. आई. आर. में है कि प्रतिबंध के समय का उल्लेख 6 के बीच किया गया थाः 00 पीएम से 5: 00 एएम। तीसरा; कि आरोप तय करने के बाद, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए मामले को निचली अदालत के समक्ष 10.02.2022 पर सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ, परिणामस्वरूप, मामला शुभम अलीअस शुभम सैनी बनाम हरियाणा राज्य था।

1965

(अमन चौधरी, जे.)

पाँचवाँ; धारा 195 (1) Cr.P.C के अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 172-188 के तहत आने वाले अपराधों का संज्ञान लेने के लिए, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई थी। इसके बजाय, प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दिनांकित अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई। इस प्रकार, पूरी कार्यवाही, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण, शुरू से ही अमान्य है। छठा; उस अवधि के दौरान दर्ज की गई 206 प्राथमिकियों में संज्ञान लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित एक सामान्य शिकायत के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई थी। वह मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 09.07.2021 पर दायर शिकायत का एक स्पष्ट संदर्भ देता है, विशेष रूप से उसके पैरा संख्या 5 के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, रोहतक द्वारा संख्या 24562 दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उक्त प्राथमिकियों में आरोपी व्यक्तियों ने उसके द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन किया है। हालांकि, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार आरोप पत्र या शिकायत का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने पैरा 6 का उल्लेख किया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेने की प्रार्थना के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 195 (1) और धारा 60 के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकायत दर्ज की जा रही है। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक लोक सेवक होने के नाते एक गवाह के रूप में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई थी, लेकिन एक शिकायतकर्ता के रूप में नहीं, जो दर्शाता है कि वास्तव में शिकायत को उसके अंकित मूल्य पर भी लिया जाता है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। पी. सी., एक से अधिक कारणों से, अर्थात्; यह 09.07.2021 दिनांकित है अर्थात आरोप पत्र 23.06.2021 की तारीख के बाद और यह 1966 के किसी विशिष्ट आरोप का खुलासा नहीं करता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

4 2018 एससीसी ऑनलाइन 13698

5 (जी. एन. सी. टी. डी.) 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन 6 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन 959 शुभम अलियास शुभम सैनी बनाम हरियाणा राज्य

1967

(अमन चौधरी, जे.)

(7) वह एच. एल. ए. श्वे और अन्य (ऊपर) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख करते हैं, जो धारा 195 (1) Cr.P.C को शामिल करने के विधायी इरादे से संबंधित है। (8) याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के विद्वान वकील ने पुलिस उपाधीक्षक, रोहतक के एक हलफनामे के माध्यम से जवाब का उल्लेख किया है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से अपने चचेरे भाई की मदर डेयरी फ्रेंचाइजी से कोई सरोकार नहीं था और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया था, जिसके अनुसार, उन्होंने रोहतक में उक्त अवधि के लिए 6 से पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया थाः 00 अपराह्न-5: 00 ए. एम. ने आगे कहा कि आई. डी. 1 दिनांकित एफ. आई. आर. दर्ज की गई है, जिसके बाद चालान दायर किया गया है और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आई. डी. 2 दिनांकित आदेश के माध्यम से अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सही ढंग से तैयार किए गए हैं। इस मामले में कुल 5 गवाह हैं और अभी तक किसी से पूछताछ नहीं की गई है। यह उनका आगे का निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने पूरी कहानी गढ़ी है, क्योंकि वह चार और आरोपी व्यक्तियों के साथ खाली हाथ खड़ा पाया गया था और पुलिस द्वारा पूछताछ पर वह कोई संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा। इस प्रकार, बिल्कुल सही तथ्यों और परिस्थितियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

(9) पक्षकारों की सलाह सुनी।

(10) इस मुद्दे पर विचार करने से पहले, आई. पी. सी. की धारा 188 और आई. डी. 1 की धारा 195 के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है।

1968

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः - “188. लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा। —जो कोई भी, यह जानते हुए कि ऐसा आदेश जारी करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश द्वारा, उसे किसी निश्चित कार्य से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है, या अपने कब्जे में या अपने प्रबंधन के तहत कुछ संपत्ति के साथ कुछ आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है, वह ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा, यदि ऐसी अवज्ञा से कानूनी रूप से कार्यरत किसी भी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट, या बाधा, झुंझलाहट या चोट का खतरा होता है, तो उसे एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या दो सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है या प्रवृत्त करती है, या दंगा या कलह का कारण बनती है या पैदा करती है, तो दोनों में से किसी एक के कारावास से, जो छह महीने तक हो सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

((ग) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, सिवाय संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत के, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है; (ख) (i) निम्नलिखित में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का शुभम आलिया शुभम सैनी बनाम हरियाणा राज्य

1969

(अमन चौधरी, जे.)

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराएँ, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सहित), धारा 199,200,205 से 211 (दोनों सहित) और धारा 228, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, या

((ख) धारा 463 में वर्णित या उक्त संहिता की धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के तहत दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया है, या

(4) उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, एक न्यायालय को उस न्यायालय का अधीनस्थ माना जाएगा, जिसके समक्ष ऐसे पूर्व न्यायालय की अपील योग्य फरमानों या वाक्यों के संबंध में आम तौर पर अपील की जाती है, या उस सिविल न्यायालय के मामले में, जिसके आदेशों के विरुद्ध आम तौर पर कोई अपील नहीं की जाती है, सामान्य मूल सिविल अधिकारिता वाले प्रमुख न्यायालय का अधीनस्थ माना जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित हैः बशर्ते कि - ((क) जहां एक से अधिक न्यायालयों में अपील की जाती है, वहां निम्नतर अधिकारिता वाला अपीलीय न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीन ऐसा न्यायालय समझा जाएगा।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

(ख) जहां सिविल और राजस्व न्यायालय में भी अपील की जाती है, वहां ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही की प्रकृति के अनुसार सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ माना जाएगा, जिसके संबंध में अपराध किए जाने का आरोप है। ”

(11) उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विधायी इरादा यह है कि जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कोई "अपराध" किया जाता है, वहां संबंधित लोक सेवक की ओर से क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित रूप में शिकायत दर्ज करना अनिवार्य होगा।

(12) एच. एल. ए. श्वे और अन्य (ऊपर) के मामले में बॉम्बे

(13) श्वेता एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 7 के मामले में इस अदालत ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत कार्यवाही केवल संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत पर शुरू की जा सकती है, न कि पुलिस द्वारा संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट के आधार पर। (14) छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, अपूर्व घिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, रिट याचिका (क्र.) 2020 की सं. 310 निम्नानुसार आयोजित की गईः -

“........माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती है और यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के तहत दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो पूरे अभियोजन को अमान्य कर दिया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध संज्ञेय है, पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं करता है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज करने के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 173 (8) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो संहिता की धारा 2 (डी) के साथ पठित धारा 195 (1) (ए) द्वारा विशेष रूप से वर्जित है। "शिकायत" की परिभाषा में शामिल है

7 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन 6580 शुभम आलिया शुभम सैनी बनाम हरियाणा राज्य

1971

(अमन चौधरी, जे.)

संहिता की धारा 2 (डी) में यह स्पष्ट किया गया है कि शिकायत में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ”

8 (2013)10 एस. सी. सी. 705 9 ( 2008) 5 एस. सी. सी. 668 1972

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

कम से कम कहें तो चिकित्सक और पैरामेडिक्स आदि प्रशंसनीय हैं। लेकिन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए, व्यापक सार्वजनिक हित में, जो गंभीर स्थिति उभर रही थी, वह अनिवार्य रूप से लोगों के जीवन में बहुत अधिक तबाही का कारण बनती, जो वास्तव में हुई थी, जिससे संक्रमण के मामलों में वृद्धि को नियंत्रित किया गया था, जो कि समय की आवश्यकता थी। जो भी हो, प्रशासनिक आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जांच प्रावधानों की प्रक्रियात्मक आवश्यकता और निर्धारित कानून के संदर्भ में की जानी चाहिए। (20) यह सामान्य कानून है कि धारा 195 Cr.P.C के तहत परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन न करना एक लाइलाज दोष है। वर्तमान मामले में पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत अपराध के लिए एफ. आई. आर. दर्ज की है, उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट रूप से प्रभावित होने के कारण, कार्यवाही को शुरू से ही अमान्य कर दिया है।

(21) राज्य के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कर्नाटक बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य 10, निम्नानुसार आयोजितः -

“… नई संहिता की धारा 482, जो एस के अनुरूप है। 561-1898 की संहिता का ए, प्रदान करता है किः "इस संहिता की किसी भी बात को इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। इस पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो यह है कि अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक आपराधिक मामले में, एक लंगड़े अभियोजन के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अभियोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय को उचित ठहराएगा। न्याय के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना है।

10 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1489 शुभम अलीअस शुभम सैनी बनाम हरियाणा राज्य

1973

(अमन चौधरी, जे.)

इन टिप्पणियों को करने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता यह है कि उस प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य की उचित प्राप्ति के बिना, जो राज्य और उसके विषयों के बीच न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने का प्रयास करता है, उस मुख्य अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई और रूपरेखा को समझना असंभव होगा। ” संहिता की धारा 195 (1) के दायरे में पुलिस द्वारा सामान्य तरीके से जांच करने और चालान दाखिल करने पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत को सीधे संबंधित अदालत में प्रस्तुत किया जाना है। ”

(23) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित कानून को देखते हुए, इस न्यायालय को वर्तमान याचिका को स्वीकार करने के लिए राजी किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, 29.04.2021 दिनांकित एफ. आई. आर. और उससे उत्पन्न होने वाली बाद की कार्यवाही को याचिकाकर्ता द्वारा रद्द कर दिया जाता है। रिपोर्टर-डॉ. पायल मेहता